>

Title: Regarding Government's guidelines relating to private companies engaged in power generation.

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूं। वहां सरकार के द्वारा कुछ निजी कंपनियों को देश के विभिन्न जिलों में बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर हाउस लगाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में भी रिलायंस कंपनी को रोजा थर्मल पावर हाउस में बिजली उत्पादन की अनुमति दी गई है। उक्त कंपनी के द्वारा वहां उत्पादन आरंभ कर दिया गया है।

मेरी मांग है कि रोजा थर्मल पावर कंपनी को सरकार निर्देशित करे कि शाहजहांपुर जिले में उक्त कम्पनी 24 घंटे बिजली की सप्लाई करे।

नम्बर दो जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजा बहुत कम रेट पर दिया गया है, मेरी मांग है कि उन लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसमें नौकरी दी जाए।

नम्बर तीन रोजा पावर प्लांट की चिमनी की राख और धुं से क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है, उसे रोकने की तुंत व्यवस्था की जाए, ताकि क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारियां न फैले। अन्यथा शाहजहांपुर में बिजली की रोशनी आने की बजाय अंधकार छा जायेगा।

आखिरी प्वाइंट मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के जिन ग्रामीणों की सारी जमीन चली गई है, उनके घरों में खाने की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। इसलिए मेरी मांग है कि उस कंपनी को निर्देशित किया जाए कि कम से कम वहां एक इंटर कालेज खोला जाए, ताकि उस क्षेत्र के ग्रामीणों के बच्चे उसमें नःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें।

महोदय, आपने मेरी बात को सुना, मेरा निवेदन है कि आप इसे आदेशित करने की कृपा करें।